रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032020-218667
CG-DL-E-14032020-218667

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 917] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2020/फाल्गुन 19, 1941
No. 917] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2020/PHALGUNA 19, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2020

का.आ. 1021(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 20 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"20	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 [किमी 212.000 से किमी 491.330 (हरियाणा/पंजाब सीमा से जालंधर – अमृतसर – वाघा सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 10, सं. 15 [किमी 6.082 से किमी 108.502 (पठानकोट – अमृतसर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 20, सं. 21 [(किमी 0.000 से किमी 1.680 और किमी 6.800 से किमी 73.200 (चंडीगढ़/पंजाब सीमा – कुराली – किरतपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 22 [किमी 10.890 से किमी 39.960 और किमी 39.860 से किमी 41.945 (जिरकपुर – पंजाब/हरियाणा सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 64 [किमी 50.000 से किमी 216.350 (पटियाला – संगरूर – बरनाला – भटिंडा) तक खंड को छोड़कर], सं. 70 [किमी 11.400 से किमी 49.200 (जालंधर – होशियारपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 71 [किमी 12.00 से किमी 149.00 (लाम्ब्रा – शाहकोट – मोगा – ताल्लेवाल- बरनाला खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 95 [किमी 0.000 से किमी 211.97 (खरड़ – समराला - तलवंडी – भारत पाक सीमा) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 3, नई रारा सं. 148बी, नई रारा सं. 154ए, नई रारा सं. 354, नई रारा सं. 344बी, नई रारा सं. 503वि., नई रारा सं. 703, नई रारा सं. 703ए, 703एए और नई रारा सं. 754 के उतने भाग जो पंजाब राज्य में अवस्थित हैं।	पंजाब राज्य सरकार"।

[फा. सं. एनएच-14013/9/2019-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार अधिसूचना सं.का.आ. 696(अ), दिनांकित 14 फरवरी 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2020

S.O. 1021(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 20 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"20	So much of National Highways No.1 [excluding from Km. 212.000 to Km. 491.330 (Haryana/Punjab Border to Jalandhar–Amritsar-Wagah Border)], No.10, No.15 [excluding from km. 6.082 to km. 108.502 (Pathankot – Amritsar section)], No.20, No.21 [excluding from Km. 0.000 to Km. 1.680 and from Km. 6.800 to Km. 73.200 (Chandigarh/Punjab border-Kurali-Kiratpur)], No.22 [excluding from Km.10.890 to Km. 39.960 and from Km. 39.860 to Km. 41.945(Zirakpur-Punjab/Haryana Border)], **No.64, [Excluding from Km. 50.000. to Km. 216.350(Patiala-Sangrur-Barnala-Bhatinda Section)],** No.70 [Excluding from km 11.400 to 49.200 (Jalandhar-Hoshiyarpur Section], No.71[Excluding from km 12.00 to km 149.00 (Lambra-Shahkot-Moga-Tallewall-Barnala Section)], No.95 [excluding from km. 0.000 to km. 211.97 (Kharar-Samrala-Talwandi-Indo pak border)], new NH No. 3, new NH No. 148B ,new NH No. 154A, new NH No. 354, new NH No. 344B, new NH No. 503 Extn, new NH No. 703 and new NH No. 703A, 703AA and new NH No. 754 as are situated within the State of Punjab.	State Government of Punjab

[F. No. NH-14013/9/2019-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note : The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 696(E), dated the 14th February, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2020

का.आ. 1022(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामत:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	खंड किमी में (3)
रारा-64 (नया रारा-7)	पटियाला – संगरूर – बरनाला – भटिंडा (पंजाब राज्य में)	किमी 50.000 से किमी 216.350

[फा.सं. एनएच-14013/9/2019-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2020

S.O. 1022(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of National Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

National Highways No. **(1)**	**Section of National Highways** **(2)**	**Stretch in Kilometers** **(3)**
NH-64 (New NH-7)	Patiala-Sangrur-Barnala-Bhatinda (In the State of Punjab)	Km. 50.000 to Km 216.350

[F. No. NH-14013/9/2019-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.03.14 14:41:52 +05'30'